

62

फार्म  
अचल संपत्ति वितरणका वर्ष 2016-17

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2016-17

1. अधिकारी/ कर्मचारी का पूरा नाम दिल्ली कर चंद्रेश 2. वर्तमान धारित पद करिष्ण परीक्षण द्वारा बनाया 3. कार्यालय का नाम कार्पिलन फैब्रिक्स (संचार) एवं अधीक्षण फैब्रिक्स (ट्रैड)  
मध्य प्रांत द्वारा उत्तराखण्ड द्वारा 4. वर्तमान देता 26050+4100 # D.A. 5. मविष्य निधि क्रमांक 13405203 6. कर्मचारी संख्या 91536598

| संपत्ति का नाम तथा व्यौरा   |                  |             |               |  |   |                       |           |
|---|------------------|-------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------|
| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | गृह तथा अन्य भवन | मूमि        | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वह बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पद्धति, बंधक विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा व्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अन्युक्ति |
| 1. ग्राम- दिल्ली, रीवा  | -                | 52 एकड़     | 3 लाख         | इष्यं के नाम   | पैदृष्ट   | -                     | -         |
| 2. ग्राम- कांडी, रीवा   | -                | 4 एकड़      | 12 लाख        | पर्णी के नाम   | पैदृष्ट   | -                     | -         |
| 3. रत्नरा, रीवा   | -                | 15 एकड़ किट | 4 लाख         | पर्णी के नाम   | 2008 में सरीदार कुआ   | -                     | -         |
| 4. रत्नरा, रीवा   | 1 मणि, 1600 किट  | 2650 किट    | 15 लाख        | इष्यं के नाम   | 2011 में रकरानी कुआ   | -                     | -         |
|   |                  |             |               | कुल भानुजकर मकान कनाया गया।  |   |                       |           |

हस्ताक्षर

नाम दिल्ली कर चंद्रेश

पद करिष्ण परीक्षण द्वारा बनाया

\* जहां लागू न हो काट दीजिए

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी—मंडल द्वारा ग्राहय म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अशर्ता किसी भूमि नहीं भरते ।